रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2010/आश्विन 20, 1932
No. 572] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2010/ASVINA 20, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त किए गए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) पेंशन की आयु संबंधी अतिरिक्त मात्रा.—प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित मानों के अनुसार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए हकदार होगा :—

पेंशनधारी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
अस्सी वर्ष से पचासी वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
पचासी वर्ष से नब्बे वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
नब्बे वर्ष से पचानवें वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
पचानवें वर्ष से सौ वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
सौ वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत" ।

[फा. सं. ए-11013/15/2008-ए.टी.]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को, जो 19 फरवरी, 2007 से पूर्व नियुक्त किए गए थे, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए पेंशन की आयु संबंधी अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ), तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए थे :—

(1) सं. सा.का.नि. 583(अ), तारीख 18 जून, 1987

(2) सं. सा.का.नि. 9(अ), तारीख 6 जनवरी, 1988

(3) सं. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1988

(4) सं. सा.का.नि. 324(अ), तारीख 3 मार्च, 1988

(5) सं. सा.का.नि. 120(अ), तारीख 22 फरवरी, 1989

(6) सं. सा.का.नि. 417(अ), तारीख 31 मार्च, 1989

(7) सं. सा.का.नि. 72(अ), तारीख 30 जनवरी, 1992

(8) सं. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 1 फरवरी, 1993

(9) सं. सा.का.नि. 39(अ), तारीख 20 जनवरी, 1995

(10) सं. सा.का.नि. 61(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998

(11) सं. सा.का.नि. 244(अ), तारीख 14 मार्च, 2000

(12) सं. सा.का.नि. 536(अ), तारीख 3 अगस्त, 2007

(13) सं. सा.का.नि. 545(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009

(14) सं. सा.का.नि. 874(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2010

G.S.R. 832(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunals (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Central Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2006.

2. In the Central Administration Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Age related additional quantum of pension.—Every Chairman, Vice-Chairmen and Members shall be entitled to an additional quantum of pension in accordance with the following scale :—

Age of pensioner	Additional quantum of pension
From eighty years to less than eighty-five years	20% of basic pension
From eighty-five years to less than ninety years	30% of basic pension
From ninety years to less than ninety-five years	40% of basic pension
From ninety-five years to less than hundred years	50% of basic pension
From hundred years or more	100% of basic pension".

[F. No. A-11013/15/2008-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant age related additional quantum of pension to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Central Administrative Tribunal who were appointed before the 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Central Administrative Tribunal and accordingly, the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Serviee of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note :—The Prineipal Rules were published *vide* notification No. G.S.R. 644(E), dated the 10th August, 1985 and subsequently amended *vide* notification Nos. :—

(1) G.S.R. 583(E), dated the 18th June, 1987

(2) G.S.R. 9(E), dated the 6th January, 1988

(3) G.S.R. 79(E), dated the 4th February, 1988

(4) G.S.R. 324(E), dated the 3rd March, 1988

(5) G.S.R. 120(E), dated the 22nd February, 1989

(6) G.S.R. 417(E), dated the 31st March, 1989

(7) G.S.R. 72(E), dated the 30th January, 1992

(8) G.S.R. 41(E), dated the 1st February, 1993

(9) G.S.R. 39(E), dated the 20th January, 1995

(10) G.S.R. 61(E), dated the 29th January, 1998

(11) G.S.R. 244(E), dated the 14th March, 2000

(12) G.S.R. 536(E), dated the 3rd August, 2007

(13) G.S.R. 545(E), dated the 22nd July, 2009

(14) G.S.R. 874(E), dated the 9th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.